

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-196 / 2019

महरंगिया उराँइन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

संजू उरांव एवं अन्य

..... विरोधी पक्षगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राजीव आनंद, अधिवक्ता

आदेश संख्या 03 दिनांक-12.06.2020

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों को सुना।

परिसीमा के मामले में विपरीत पक्षों को नोटिस जारी करें।

याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह पंजीकृत कवर के साथ ए/डी एवं सामान्य प्रक्रिया के तहत विपरीत पक्षों पर नोटिस की तामिला हेतु अपेक्षिताएं छह सप्ताह के भीतर दाखिल करें, जिससे विफल होने पर, यह सिविल विविध याचिका पीठ को संदर्भित किए बिना खारिज कर दी जाएगी।

नियम को छह सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाया जाता है।

विपरीत पक्षों को जारी नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस सिविल विविध याचिका को सूचीबद्ध करें।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०)